| पीडित पक्ष के विधिक वारिसान का चिहिन्करण शेष है की सूचना ( उस बंदी का नाम प्रविष्ट करना है, जिनसे सम्बधित पीडित पक्ष/वारिसान का चिनहनीकरण नही हुआ है उस बंदी को कभी भी भुगतान नही हुआ है सूचना तैयार करने की तिथि तक उस उक्त बंदी का भुगतान पेन्डिग है प्रपृत-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कारागृह का नाम | बंदी का नाम व वल्दियत | पुलिस थाना | जिला | एफ.आई.आर नम्बर | धारा | पीडित पक्ष को सम्भावित देय राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |